सं0–745 /उन्तीस(2)/05–2(1490)/2005

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 06 सितम्बर 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में चालू नगरीय पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 2042/ धनावंटन प्रस्ताव दिनांक 07.05.2005, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय पेयजल योजनार्न्तगत श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में देहरादून पेयजल योजना डालनवाला बी– 4 के कियान्वयन हेतु रूपये 2.82 लाख (रूपये दो लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार किस्तों में आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी। पूर्व स्वीकृत धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि जिन निर्माण कार्यो पर व्यय की जायेगी उन कार्यो की लागत के सापेक्ष उ0प्र0 शासन की वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1) दस–97–17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार 12.5 प्रतिशत की धनराशि ही सैंटेज चार्जेज के रूप में अनुमन्य होगी। धनराशि व्यय करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यह भी सुनिश्चित कर लेंगें कि अमुक कार्यो पर पूर्व में व्यय की गयी धनराशि को सामायोजित करते हुए सेंटेज चार्जेज किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक व्यय नही होगा। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लें।

क्रमशः..2.

060905001

सं0– ४५२ /उन्तीस(2)/05–2(1490)/2005

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 06 सितम्बर/अगस्त 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में चालू नगरीय पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 2042/ धनावंटन प्रस्ताव दिनांक 07.05.2005, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में देहरादून पेयजल योजना डालनवाला बी– 4 के क्रियान्वयन हेतु रूपये 2.82 लाख (रूपये दो लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार किस्तों में आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी। पूर्व स्वीकृत धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि जिन निर्माण कार्यो पर व्यय की जायेगी उन कार्यो की लागत के सापेक्ष उ0प्र0 शासन की वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1) दस–97–17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार 12.5 प्रतिशत की धनराशि ही सैंटेज चार्जेज के रूप में अनुमन्य होगी। धनराशि व्यय करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यह भी सुनिश्चित कर लेंगें कि अमूक कार्यो पर पूर्व में व्यय की गयी धनराशि को सामायोजित करते हुए सेंटेज चार्जेज किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक व्यय नही होगा। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लें।

क्रमशः..2.

06090500।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन/व्यय धनराशि के व्यय की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्यों की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति समयबद्ध शासन को उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति न हो अथवा जो विवादग्रस्त है। धन का उपयोग उन्हीं योजनाओं पर किया जाय जिनके लिए स्वीकृति दी जा रही है। एक योजना की धनराशि दूसरी योजना पर कदापि व्यय न की जाय।

5– कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– व्यय करने के पूर्व बजट मैनुअल फाइनेन्शियल हैण्डबुक नियमों, टेंडर एवं अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसकी व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 1457/वि0अनु0–3/05 दिनांक 03 सितम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

~~संलग्नक–यथोपरि~~

भवदीय,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 719 (1)/उन्नीस(2)/05–2(14पे0)/2005, तद्दिनांक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त गढ़वाल, पौड़ी/कुमायूं, नैनीताल।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी/नैनीताल/पिथौरागढ़, उत्तरांचल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

5— मुख्यमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जलसंस्थान देहरादून/पौड़ी/नैनीताल
7— मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल/कुमायूं) उत्तरांचल पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
8— वित्त अनुभाग–3/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन.।
9— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
10— निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11— निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।
12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव